तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 112/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
25.11.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम प्रजापत, निवासी– रामदेवी गली, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, बिग बाजार, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही) अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (खुशाल परमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता/पैकर, फर्म VEG GO FOOD, Near Nehar, Jasaji Colony, Sumerpur, Dist. Pali) के अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित।	

आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत द्वारा दिनांक 15.2.2023 को फर्म वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, बिग बाजार, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम प्रजापत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo Brand) का नमूना संख्या S-2008 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./289/Act/2023/330 दिनांक 28.2.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 (जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम प्रजापत)□को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या–2 (खुशाल परमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता/पैकर, फर्म VEG GO FOOD, Near Nehar, Jasaji Colony, Sumerpur, Dist. Pali) की ओर से अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 19.11.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रतिवादी संख्या–2 (खुशाल परमार) के अधिवक्ता श्री दलपराज परमार की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या–2 के जवाब में अंकित किया तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, बिग बाजार, पिण्ड़वाड़ा से खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo Brand) का नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुरुप नही की गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी जगदीश के खाली प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करवाये व नमूना लेने की कार्यवाही मौके पर सम्पादित नही की है। सेम्पल को टेम्पर विथ कर जांच हेतु भेजा गया है व जांच रिपोर्ट की प्रति भी प्रतिवादी संख्या 2 (खुशाल परमार) को नही भेजी है

......लगातार

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:18:53 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 112/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 2 (खुशाल परमार) उक्त खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo Brand) के नमूनें के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहे है। प्रतिवादी संख्या–2 (खुशाल परमार) की फर्म द्वारा लेबल पर पूर्ण सूचना/जानकारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अंकित कर ही खाद्य पदार्थ की पैकिंग की जाती है एवं विक्रय किया जाता है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.2.2023 को 1.15 पी.एम. पर फर्म वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, बिग बाजार, पिण्ड़वाडा, जिला–सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम प्रजापत उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo Brand) आदि विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo Brand) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम प्रजापत को उपस्थित गवाह के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की तथा फर्म वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, बिग बाजार, पिण्ड़वाडा की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo Brand) के पैक्ड पैकेटों में से खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo Brand) के 4 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमत राशि रुपये 100/– (रुपये एक सौ मात्र) विक्रेता जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम प्रजापत को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2008, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo Brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता जगदीश प्रजापत एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो ... में अलग–अलग बन्द कर

.....लगातार

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:15:53 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 112/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 17.2.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ तोमर, कार्मिक, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 15.2.2023 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत द्वारा फर्म वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, बिग बाजार, पिण्ड़वाडा में प्रतिवादी विक्रेता जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम प्रजापत से खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo Brand) के नमूना संख्या S-2008 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./289/Act/2023/330 दिनांक 28.2.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo Brand) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम प्रजापत की फर्म वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पिण्ड़वाडा द्वारा मैदा (Veggo Brand) के 500–500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को फर्म VEG GO FOOD, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, जूना जाखोडा रोड़, सुमेरपुर से जरिये बिल टेक्स इनवोईस नम्बर 3853 दिनांक 06.1.2023 से क्रय किया गया था, जो खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo) की निर्माता/पैकर फर्म है। इस प्रकार, मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता/पैकर फर्म VEG GO FOOD ही दोषी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है व उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी जगदीश प्रजापत को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मैदा (Veggo) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी निर्माता/पैकर फर्म VEG GO FOOD, Near Nehar, Jasaji Colony, Sumerpur, Dist. Pali पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी संख्या–2 (खुशाल परमार) को आदेशित किया जाता है कि फर्म VEG GO FOOD, Near Nehar, Jasaji Colony, Sumerpur, Dist. Pali पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी संख्या–2 (खुशाल परमार) को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 05.01.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:15:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)